न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 540/2025

अपीलांट

गोविन्दसिंह पुत्र पांचराज सिंह पुरोहित
निवासी सरस्वती नगर, मुंगेरिया,
तहसील शिव, जिला बाडमेर

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. मगसिंह पुत्र वीरमसिंह पुरोहित
निवासी ग्राम लखा, तहसील
फतेहगढ, जिला जैसलमेर (राज.)
हाल–निवासी लीकड़ी, मुंगेरिया
तहसील शिव, जिला बाडमेर
2. मीरोदेवी पत्नी सुरताराम
निवासी देवका, तहसील शिव,
जिला बाडमेर (राज.)

प्रर्फोमा प्रत्यर्थीगण–

3. झीमों देवी पत्नी लीलसिंह
4. पूनमसिंह पुत्र लीलसिंह
5. खुमाणसिंह पुत्र लीलसिंह
6. रूखबसिंह पुत्र बीरमसिंह
(जाति पुरोहित, निवासी सरस्वती
नगर मुंगेरिया, तहसील शिव, जिला
बाडमेर)
7. तारोदेवी पत्नी अर्जुन सिंह
8. मलसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
9. टीकमसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
10. किशनसिंह पुत्र अर्जुनसिंह
(जाति पुरोहित, निवासीगण लीकडी,
मुंगेरिया, तहसील शिव, जिला
बाडमेर, हाल निवासी–ग्राम लखा,
तहसील फतेहगढ, जिला जैसलमेर)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी शिव (बाडमेर) राजस्व आवेदन सं0 128/2021, दिनांक 09.03.2022

उपस्थिति –
1. श्री भंवरलाल डूडी, वकील अपीलांट
2. श्री अनिल राठी, वकील रेस्पो0 सं0 1 की ओर से
3. श्री राजकमल देवी, वकील रेस्पो0सं0 3 व 5 एवं 7 से 10
4. शेष रेस्पो0 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 09.02.2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी शिव (बाडमेर) द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

आवेदन संख्या 128/2021 अनवान मगसिंह वगैरा बनाम गोविन्दसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 09.03.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 व 2–प्रार्थी–मगसिंह वगैरा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसील शिव के ग्राम सरस्वती नगर, पटवार हल्का मुगैरिया स्थित अपने खातेदारी व कब्जा काश्त खसरा नं0 247/187 रकबा 33 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 9.3.22 द्वारा स्वीकार कर विवादित भूमि के संबंध में पूर्व सीमाज्ञान की नियमानुसार कार्यवाही करने व तत्पश्चात कार्यवाही विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु भू.अ.निरीक्षक शिव को आदेश कमांक 1446 दिनांक 15.3.22 द्वारा कमिश्नर नियुक्त कर उक्त कार्यवाही दोनों पक्षों को सूचित कर, निश्चित तारीख मुकर्रर कर, आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आदेशित किया गया। उक्त कम में तहसीलदार शिव की पालना रिपोर्ट जरिये पत्रांक 2126 दिनांक 28.07.25 के संलग्न मौका फर्द दिनांक 13.06.25 पुष्टि हेतु प्रेषित की गई। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेशिका दिनांक 12.08.25 द्वारा कन्फर्म किया जाकर मौका रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस को निर्णय का अभिन्न अंग रखा गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट–विप्रार्थी सं0 1–गोविन्दसिंह ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

उभय पक्ष उपस्थित, बहस सुनी गई। दौरान बहस अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह आग्रह किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 व 2–प्रार्थी द्वारा अपीलांट–विप्रार्थीगण के विरूद्ध आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम सरस्वती नगर के ख0नं0 247/187 की नेखमबंदी हेतु आग्रह किया गया। जिसमें प्रार्थी एवं विप्रार्थी के खेतों के बीच कच्ची–पक्की माठ या सीमा चिन्ह नही होने के कारण काश्त संबंधी विवाद से बचाव हेतु वक्त सीमाज्ञान मौके पर सेढा पडौसियों द्वारा भंयकर विवाद उत्पन्न करने से प्रार्थी अपने खसरान की पक्की नेखमबंदी करवाना उल्लेखित है। आलौच्य प्रकरण में विप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 09.03.22 को एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया। प्रत्यर्थी द्वारा सम्मन व वाद की प्रति रजिस्टर्ड डाक द्वारा अपीलार्थी को नही भेजी गई व

राजस्व सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

रजिस्टर्ड डाक रसीद ट्रेक मीमों पेश कर दिया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तामिल मान कर एकतरफा आदेश पारित कर दिया गया। जिससे अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर नही मिला। रेस्पो0–प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वक्त सीमाज्ञान मौके पर सेढा पडौसियों द्वारा भंयकर विवाद उत्पन्न करने जैसे अपूर्ण व काल्पनिक तथ्य दर्शाया गया, जबकि ऐसी कोई रिपोर्ट रेकर्ड पर नही है। रेस्पो0–प्रार्थी के ख0नं0 247/187 की भूमि सेटलमेंट मेप के अनुसार ओवरलेप है तथा मौके पर अवस्थित नही है, जबकि अपीलांट वक्त सेटलमेंट अपने खातेदारी ख0नं0 262/186 पर निर्बाध रूप से काबिज काश्त है। इसलिए वादग्रस्त भूमि की सेटलमेंट अधिकारीयों द्वारा बिना पैमाईश एवं सीमाज्ञान के नेखमबंदी की जाना विधिविरूद्ध है। प्रार्थना पत्र में रेस्पो0–प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा सरस्वती नगर में तथाकथित अवस्थित होना बताया गया, जबकि सेटलमेंट में ग्राम मुंगेरिया में स्थित होना बताया हुआ है। रेस्पो0–प्रार्थी के खेत में ग्राम मुंगेरिया व बालासर की सीमाएं लगती है और दोनों ग्रामों की सीमाओं के बीच वृक्ष एवं जाल की माठे सेटलमेंट से स्थापित है व दोनों सीमाएं ओवरलेप है। सीमाओं का मिलान नही होने से मौके पर सेटलमेंट ऑपरेशन के दस्तावेज वर्तमान में ससमान नही होने से सर्वे मैप व राजस्व दस्तावेज में भिन्नता होने से अधीनस्थ न्यायालय वास्तविक एवं भौतिक रूप से कब्जे के आधार पर ही नेखमबंदी का आदेश पारित कर सकता है व इसी अनुरूप पक्षकारान आदेश पारित करवाने के अधिकारी है। अपीलाधीन आदेश की पालना में रेस्पो0 –प्रार्थी कदीमीमाठ को तोडते हुए, अपीलांट के खसरान के अन्दर घुसने पर उतारू है, जबकि अपीलार्थी सीमाज्ञान पैमाईश के बाद नेखमबंदी का आदेश करवाने का अधिकारी है। वादग्रस्त खसरान की भूमि वक्त सेटलमेंट से मौके पर रेकर्ड अनुसार कम एवं ओवरलेप है, जिसे रेस्पो0–प्रार्थी नेखमबंदी की आड़ में अपीलांट की भूमि से हडपना चाहते है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट एवं सभी खातेदारों के रकबे को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करना चाहिए था। आलौच्य प्रकरण में तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तक तलब नही की गई है। राजस्व रेकर्ड में वादग्रस्त ख0नं0 247/187 अपीलांट के पडौस में अंकित नही है। रेस्पो0–प्रार्थी की भूमि दो ग्रामों की सरहद पर अवस्थित है और मौके पर रकबा कम होने से वह उक्त भूमि के छोटे– छोटे टुकडे करते हुए अपना खेत अपीलांट के पडौस में वर्णित कर अपीलांट की भूमि हडपने की नियत से नेखमबंदी करवाना

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

चाहता है। ऐसी स्थिति में दोनो पक्षों के मध्य विवाद का निस्तारण हेतु रेस्पो0–प्रार्थी के खसरान के साथ–साथ अपीलार्थी–अप्रार्थी के उल्लेखित खसरान की भी नेखमबंदी का आदेश पारित किया जाना न्याय संगत होगा।

वस्तुतः जिला बाडमेर की तहसील शिव के पटवार मण्डल मुगेरिया के राजस्व ग्राम सरस्वती नगर की भूमि भू–प्रबंधन के नक्शानुसार मौके पर कम होने एवं उक्त भूमि दो गांवों की सरहद पर होने से उक्त राजस्व ग्राम आज दिनांक तक ऑनलाईन नही हो पाया है। आलौच्य प्रकरण में सभी पक्षकारान की भूमि मूल ख0नं0 137 की रही है, ऐसी स्थिति में वक्त सेटलमेंट जारी नक्शें के अनुसार मूल ख0नं0 137 की संपूर्ण भूमि का सीमाज्ञान करवाकर रेस्पो0–प्रार्थी के तथाकथित वादग्रस्त खसरान के आस–पडौस के खेतों का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी के आदेश से सीमा विवाद खत्म हो सकता है। उक्त समस्त तथ्यों पर गौर किए बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों एवं विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने तथा अपीलांट एवं रेस्पो0 की भूमि का सीमाज्ञान सेटलमेंट कार्मिकों की टीम से करवाकर नेखमबंदी का आदेश पारित करवाने का आग्रह किया गया।

वकील अपीलांट ने फार्म नं0 3 के साथ वादग्रस्त भूमि को लेकर न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी शिव में प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 226/2025 अनवान मेघराजसिंह बनाम गोविन्द सिंह वगैरा "राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 आर.टी.एक्ट वास्ते करने प्रतिवादीगण को बेदखल व पाने स्थाई निशेधाज्ञा" की प्रति प्रस्तुत की गई।

रेस्पो0सं0 1 के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि हस्तगत प्रकरण में अपीलांट के पक्ष में किसी प्रकार का स्थगन आदेश पारित नही किया गया था। अपीलाधीन आदेश की पालना में वादग्रस्त खसरान की नेखमबंदी की जा चुकी है। मौका फर्द दिनांक 13.06.25 के अनुसार मूल ग्राम मूंगेरिया की सीमा के साथ मूल ग्राम बालासर तथा लखा की सीमा का मिलान किया गया। ग्राम बालासर तथा लखा की सीमा पर ओवरलेप के कारण मूल ख0नं0 137 में 12.04 बीघा रकबा कम पाया गया। उक्त कम रकबा को समस्त खसरों के अनुपात में बराबर भागो में बांट कर मौके पर स्थित माठ को सरहद कायम कर, उसके अनुसार प्रार्थी के वादग्रस्त ख0नं0

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

[illegible] 961/[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] स्थगित किया 961/181 के [illegible] तहसीलदार शिव के पत्रांक 2125 दिनांक 28.7.25 [illegible] अधीनस्थ न्यायालय की [illegible] मौका रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस का [illegible] अधीनस्थ आदेश [illegible]

[illegible] 7 [illegible] अपने कथन में मुख्यतः यह [illegible] प्राप्त नहीं हुए। अधीनस्थ [illegible] किया गया है। जिसे निरस्त फरमाकर, प्रकरण [illegible] किया गया।

[illegible] अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके [illegible] का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह प्रकट [illegible] आदेश दिनांक [illegible].03.2022 में उल्लेखित कि विवादित भूमि को [illegible] पूर्व में हो चुकी है, उक्त सीमाज्ञान फर्द का अधीनस्थ न्यायालय [illegible] गया। इसके अलावा रेस्पो0–प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में [illegible] तहसीलदार शिव को पक्षकार नहीं बनाया तथा न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा [illegible] तहसीलदार शिव से रिपोर्ट तलब की गई। मात्र आवेदन में उल्लेख [illegible] का निस्तारण कर दिया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट एवं अन्य [illegible] अधिवक्ताओं का कथन है कि उन्हें नोटिस प्राप्त नही होने से सुनवाई का अवसर नहीं मिला तथा इस मामले में पक्षकारों के मध्य सीमा विवाद ग्राम मुंगेरिया व [illegible]/[illegible] की सरहद में ओवरलेप को लेकर है। सीमाओं का मिलान नहीं होने से मौके पर सेटलमेंट ऑपरेशन के दस्तावेज वर्तमान में समान नही होने से [illegible] दस्तावेज में भिन्नता है। इसका उल्लेख तहसीलदार शिव की पालना रिपोर्ट दिनांक 28.07.25 के संलग्न मौका फर्द एवं नक्शा किश्तवार (आंशिक) मौजा [illegible] (मूल ग्राम मुंगेरिया) के अवलोकन से स्पष्ट होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ आदेश व उसकी पालना में वादग्रस्त खसरान की नेखमबंदी को विधिक नही कहा जा सकता है।

[illegible]

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पायी जाने से तद्नुसार स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव (बाडमेर) द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 128/2021 अनवान मगसिंह वगैरा बनाम गोविन्दसिंह वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.03.2022 निरस्त किया जाता है तथा इसकी पालना में मौका फर्द दिनांक 13.06.25 द्वारा की गई ग्राम सरस्वती नगर के वादग्रस्त ख0नं0 247/187 की नेखमबंदी को भी निरस्त किया जाता है।

उभय पक्ष मौका फर्द दिनांक 13.06.25 के अनुसार मूल ग्राम मूंगेरिया की सीमा पर ग्राम बालासर तथा लखा की सीमा का ओवरलेप होने के कारण सेटलमेंट कार्मिकों द्वारा नियमानुसार पैमाईश करवाने के बाद नेखमबंदी करवाने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 9-2-26. को खुले न्यायालय सुनाया गया।

9/2/26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर